प्रपत्र–5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरू

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) सहनाली छोटी

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.**

उनवान

हीरालाल ..... बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

दावा बाबत दावा U/S 88 RTA

मुकदमा नम्बर :– 75/2022

निर्णय दिनांक :– 18.05.22

वादी की ओर से स्वयं ..... की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18.05.22 को **श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.** (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरू के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

दावा वादी स्वीकार किया जाकर रोही ग्राम सुरतपुरा की जमा बंदी खाता सं. 163 ख. 3427/4225 में अंकित वादी के पिता का नाम गोगाराम के स्थान पर गोगराज, हीरालाल पुत्र गोगाराम के स्थान हीरालाल पुत्र गोग राज दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती है। भविष्य मे किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में पूर्व नाम मान्य होगा। वादी द्वारा किसी भी तथ्य को छुपाये जाने पर समस्त जिम्मेदारी वादी की होगी। तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व अभिलेख के अमल दरामद करे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 18.05.22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		[illegible]	
6. कमिश्नर की फीस		[illegible] फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 15:59:11 IST
Reason: SelfAttested

नामा० 950
18-05-22